न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 69/अपील/2022 (GCMS No. 2022/158)	17.08.2022	23.12.2024

बउनवान

देवा पुत्र खाना जाति भील,
निवासी ग्राम पराणा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती पानाबाई पत्नी रतनलाल जाति भील निवासी छतरी खेडा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलांट की ओर से श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो. सं.1 की ओर से श्रीनाथ किशोर गुप्ता एवं श्री बृजमोहन गौतम एड.
रेस्पो. सं. 2 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार डाबी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 300 दिनांक 03.03.2016 ग्राम पराना से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर केता पानाबाई पत्नी रतनलाल कौम भील निवासी छतरीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 69/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2022/158 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट देवा को पुराने कब्जे काश्त के आधार पर ग्राम पराना में खसरा संख्या 239 रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 28.11.1975 को आवंटित हुई थी एवं मौके पर कब्जा रिपोर्ट भी बनायी गई थी तथा आवंटी देवा के नाम जमाबंदी में गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। अपीलांट देवा आवंटन के बाद से उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त होने से वह नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था, किन्तु अपीलांट बिना पढा–लिखा एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जो सरकारी दस्तावेजात के संबंध में समझता नहीं है। दिनांक 20.05.2022 को कुछ लोग अपीलांट की भूमि पर आये एवं बताया कि वह उक्त भूमि को पाना बाई पत्नी रतनलाल से कय करना चाहते है क्योंकि यह भूमि पाना बाई के नाम खाते में दर्ज है। तब अपीलांट ने तुरन्त अधिवक्ता से सम्पर्क किया। इसके बाद पता चला कि अपीलांट की जमीन पानाबाई के नाम से जमाबंदी में दर्ज है। जिस पर हगामी पत्नी देवा जाति भील निवासी मोतीपुरा द्वारा पानाबाई को बेचान किये जाने से जरिये इन्तकाल सं.300 दिनांक 03.03.2026 से नामान्तकरण हगामी के स्थान पर पानाबाई के नाम से खोल दिया गया है। इस संबंध में ओर तहकीकात करने पर ज्ञात हुआ कि जरिये इन्तकाल संख्या 193 दिनांक 05.02.2016 से भूमि का नामान्तरकरण हगामी बेवा देवा को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। फिर इसकी भी तहकीकात की गई कि हगामी उक्त भूमि पर खातेदार किस प्रकार बनी, तो इसकी जानकारी मिली कि हगामी एवं कालू पुत्र राजू भील द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके अपीलांट देवा को मृत बताकर ग्राम पंचायत डाबी से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जरिये इन्तकाल सं. 250 दिनांक 06.07.2012 द्वारा हगामी को अपीलांट का एकमात्र वारिस बताकर अपीलांट के खाते की भूमि खसरा सं. 544/239 रकबा 15 बीघा भूमि पर फौती इन्तकाल हगामी ने अपने नाम से खुलवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी गैर खातेदार देवा आ. खाना की मृत्यु की जांच व भूमि पर कब्जे संबंधित जांच किये बिना देवा को मृत बताकर खोला गया उक्त नामान्तरकरण जो पूरी तरह से अवैध है। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि का गैर खातेदार अपीलांट देवा आज भी जीवित है तथा भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट देवा द्वारा उक्त श्रीमती हगामी के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमती हगामी मोतीपुरा

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

निवासी है जिसके पति का नाम भी देवा है जो शंकर का पुत्र है जिसके खाता संख्या 23 मेघारावत की झौपडियां पटवार मण्डल नीम का खेडा, भू–अभिलेख वृत्त गुढानाथावतान तहसील बून्दी में स्थित आराजी खसरा सं. 427 / 564 की 7 बीघा भूमि थी जो उक्त देवा पुत्र शंकर भील की दिनांक 03.08.2005 को मृत्यु होने पर उसकी पत्नी हगामी व पुत्र भैरू, पॉचू, महावीर, फोरू, प्रहलाद तथा बच्ची पुत्री देवा के नाम से जरिये इन्तकाल सं. 334 दिनांक 09.06.2006 से नामान्तरकरण दर्ज रेकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त हगामी देवा पुत्र शंकर निवासी मोतीपुरा की पत्नी है जिसका अपीलांट देवा पुत्र खाना निवासी पराना से कोई संबंध नहीं है। हगामी के पास ग्राम पराना का कोई भी दस्तावेज नहीं है। हगामी कभी भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त नहीं रही है, बल्कि भूमि आज भी अपीलांट के कब्जे में ही है।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि हगामी द्वारा आपराधिक कृत्य करते हुए उक्त भूमि अपने नाम गैर खातेदारी में दर्ज होते ही राजस्व मण्डल में झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय को धोखा देकर अपील प्रस्तुत कर उक्त भूमि के संबंध में स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के लिए आदेश दिनांक 09.05.2013 प्राप्त किया गया। जबकि इस सारी प्रक्रिया में हगामी कभी भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त नहीं रही है, बल्कि भूमि आज भी अपीलांट के कब्जे में ही है। इस प्रकार आपराधिक कृत्य के मार्फत पारित करवाये गये आदेश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच एवं मिलीभगत से नामान्तरकरण सं. 293 दिनांक 05.02.2016 खोला गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त नामान्तरकरण से जमाबंदी में खातेदार दर्ज होते ही श्रीमती हगामी द्वारा तुरन्त उक्त भूमि का पानाबाई पत्नी रतनलाल भील को दिनांक 25.02.2016 को बेचान कर दिया गया। हगामी द्वारा बिना कब्जे के एवं अवैध नामान्तरकरण के आधार पर किये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 पानाबाई के पक्ष में दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोलते समय कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की गई और न ही मौका स्थिति का अवलोकन किया गया है ऐसे में उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट देवा आ. खाना को मृत बताकर उसकी जमीन हडपने के लिए मोतीपुरा निवासी देवा आ.शंकर की पत्नी हगामी द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके अपने नाम फोती इन्तकाल दर्ज करवा लिया तथा बाद में राजस्व मण्डल में अपील दायर करके मिथ्या तथ्यों के आधार पर खातेदारी बाबत आदेश प्राप्त कर लिया गया। खातेदारी मिलते ही हगामी द्वारा तुरन्त–फुरन्त में उक्त भूमि रेस्पो.सं.1 पानाबाई को बेचान कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलेक्टर, बून्दी

द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलते समय वादग्रस्त भूमि पर कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की गई और न ही मौका स्थिति का अवलोकन किया गया है, ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 300 दिनांक 03.03.2016 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर उक्त आराजी वापस अपीलांट देवा आ.खाना के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जावे। प्रथम बार दिनांक 20.05.2022 को अन्य व्यक्तियों द्वारा अपीलांट के खेत पर आकर भूमि पानाबाई के खाते दर्ज होने के बारे में बताने पर तथा इसके बाद नामान्तरकरण की नकल दिनांक 06.07.2022 को प्राप्त होने पर अपीलांट को विवादित नामान्तरकरण की पूरी जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी होते ही दिनांक 16.08.2022 को यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है फिर भी यदि अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मियाद कन्डोन किये जाने हेतु अपील के संलग्न प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा 2017 आरआरडी पेज 382, 2009 आरआरडी पेज 195, 2022(1) आरआरटी पेज 102, 2009 आरआरडी पेज 397 की नजीरें प्रस्तुत करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.300 दिनांक 03.03.2016 की जानकारी नकल प्राप्त होने पर दिनांक 06.07.2022 को होते ही यह अपील प्रस्तुत किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। जबकि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा में प्रस्तुत वाद सं. 45/दावा/2021 देवा बनाम हगामी अन्तर्गत धारा 88,89,92–ए,188 आर.टी. एक्ट दिनांक 16.06.2021 को पेश किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं.239 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम पराना पर खातेदार घोषित करने तथा प्रतिवादी रेस्पो.सं.1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 16.06.2021 को ही हो चुकी थी। इसके बावजूद उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध नियमों में निर्धारित समयसीमा में अपील पेश नहीं की गई, अपितु विलम्ब से पेश की गई है। जिससे यह अपील मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 द्वारा आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि रेस्पो.सं. 1 पानाबाई पत्नी रतनलाल भील निवासी छतरी का खेडा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 544/239 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम पराना, तहसील बून्दी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 खातेदार हगामी बेवा देवा निवासी मोतीपुरा से क्रय किया था। उक्त भूमि खातेदार हगामी द्वारा बेचान के बाद

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

रेस्पो.सं.1 पानाबाई को हस्तान्तरित की गई एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि केता रेस्पो.सं.1 पानाबाई के खाते एवं कब्जे में है। अपीलांट द्वारा दिनांक 16.06.2021 को उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में वाद बाबत अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था, जो बाद में दिनांक 23.01.2023 को स्वयं वादी द्वारा वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुये नोटप्रेस में खारिज करवा लिया गया। इसके बाद अपीलांट द्वारा उप पंजीयक, डाबी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र किया गया, जिसमें अपीलांट द्वारा शपथपूर्वक बयान किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 544 / 239 की खातेदार पानाबाई से मेरा समझौता हो गया है, मुझे मेरी प्रतिफल राशि प्राप्त हो चुकी है। इस आशय का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा के यहां विचाराधीन था जिसे मेरे द्वारा दिनांक 23.01.23 को नोटप्रेस में खारिज करवा लिया है। इसी आशय का एक परिवाद दिनांक 16.12.2022 को जिला कलक्टर महोदय, बून्दी के यहां प्रस्तुत किया था उसमें भी मैं अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। एक परिवाद मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के यहां भी दिया था, जिसमें भी मैं कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। पानाबाई उक्त आराजी को किसी को भी बेचान करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अपीलांट एक झूठा व्यक्ति है जिसने देवा आ. खाना की जमीन हडपने की नियत से देवीलाल से देवा बनकर एक बार फिर पुराने तथ्यों को आधार बनाकर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यहां अपील पेश की गई है जो न्यायालय को गुमराह करते हुये तथा वास्तविक तथ्यों का छिपाकर पेश किये जाने से चलने योग्य नहीं है। यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि रेस्पो.सं.1 उक्त भूमि पर सदभावी केता है जो जर्ये नामान्तकरण सं. 300 दिनांक 03.03.2016 से खातेदार दर्ज रेकार्ड होकर अपने खाते की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट का अपील विषयक आराजी से कोई सरोकार नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं किया जाता वहां तक उक्त नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 2012 एससी पेज 1506, आरआरडी 2012 पेज 641, आरआरडी 2008 पेज 814, आरआरडी 2003 पेज 276, आरआरडी 1996 पेज 587, आरआरडी 2006 पेज 192, आरआरडी 2011 पज 749 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का सर्वप्रथम परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 06.07.2022 को प्राप्त होने पर अपीलांट को विवादित नामान्तकरण की जानकारी होना अपीलांट द्वारा प्रार्थना

जिला कलेक्टर; बून्दी

पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने पर यह अपील दिनांक 16.08.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

तत्पश्चात अपील का परीक्षण गुणावगुण पर किये जाने पर प्रकट है कि आवंटन पत्रावली सं. 1204 पर दिनांक 24.11.1975 को सिवायचक भूमि लगानी खसरा सं. 239 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम पराना का आवंटन देवा उम्र 30 साल आ. खाना कौम भील निवासी ग्राम पराना को किया गया है। आंवटी को कब्जा संभलाया जाकर जरिये नामान्तरकरण सं. 26 दिनांक 07.02.1976 से आवंटी देवा के पक्ष में गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया है। ग्राम पंचायत डाबी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2012 के अनुसार देवा भील पुत्र खाना निवासी ग्राम डाबी की मृत्यु दिनांक 28.08.1982 को होना अंकित है। हगामी बाई पत्नी स्व.देवा भील निवासी पराना (डाबी) हाल मोतीपुरा द्वारा दिनांक 09.05.2012 को तहसीलदार बून्दी को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर मृतक देवा के वारिसान गोदपुत्र कालू एवं पत्नी हगामी बाई के पक्ष मे फोती इंतकाल खुलवाने बाबत निवेदन किया गया। जिसके संबंध में देवा वल्द खाना भील की गैर खातेदारी की आराजी पर विरासतन नामान्तरकरण हगामी बेवा देवा के पक्ष में तस्दीक किया गया। गैर खातेदार हगामी बेवा देवा द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर में एक प्रार्थना पत्र धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया को गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। जिसे स्वीकार करते हुये राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 09.05.2013 से गैर खातेदार हगामी के पक्ष में नियमानुसार खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त आदेश की पालना में नायब तहसीलदार डाबी द्वारा हगामी बेवा देवा के पक्ष में खातेदार दर्ज रेकार्ड किया जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। खातेदार हगामी द्वारा रेस्पो.सं.1 पानाबाई को वादग्रस्त आराजी बेचान कर दी गई। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 केता पानाबाई पत्नी रतनलाल कौम भील नि. छतरीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

इस अपील में आवंटी देवा को मृत बताकर श्रीमती हगामी द्वारा अपने नाम फोती नामान्तरकरण खुलवा लिये जाने बाबत भी अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है तो इस संबंध में अपीलांट की ओर से नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 06.07.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश अपील संख्या 70/2022 बउनवान देवा बनाम भैरू वगै. में बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 23.12.2024 पारित किया जाकर अपील अपीलांट खारिज की जा चुकी है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 250 यथावत प्रभावी है।

इस अपील में अपीलांट द्वारा यह भी आपत्ति प्रकट गई है कि हगामी द्वारा आपराधिक कृत्य करते हुए उक्त भूमि अपने नाम गैर खातेदारी में दर्ज करवाकर राजस्व मण्डल में झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय को धोखा देकर अपील प्रस्तुत कर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के लिए आदेश प्राप्त कर लिया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गैर खातेदार श्रीमती हगामी द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 09.05.2013 से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बून्दी को गैर खातेदार हगामी के पक्ष में नियमानुसार खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त आदेश की पालना में गैर खातेदार हगामी को खातेदार दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 293 दिनांक 05.02.2016 तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय निर्णय की पालना में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नही होने से अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध पेश की गई अपील संख्या 71/2022 बउनान देवा बनाम भैरू वगै. निर्णय दिनांक 23.12.2024 से खारिज की जा चुकी है।

जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 का प्रश्न है तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर क्रेता पानाबाई के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की वैधता का परीक्षण करना, इस न्यायालय के क्षवणाधिकार में नहीं आता है। यदि अपीलांट को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आपत्ति है तो इसे सिविल न्यायालय में चेलेन्ज करना चाहिए था। पंजीकृत दस्तावेज जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हो जाता है, तब तक नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में रजिस्टर्ड दस्तावेज से प्राप्त अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। ऐसे में अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट सारहीन बलहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी